जिला योजना कार्यालय
समाहरणालय, मुजफ्फरपुर।

दर निविदा आमंत्रण सूचना संख्या 01 वर्ष 2017–18

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एवं मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत मुजफ्फरपुर जिले के विभिन्न स्थलों पर वर्णित मानकों के अनुरूप सोलर स्ट्रीट लाईट का आपूर्ति एवं अधिष्ठापन किया जाना है। इच्छुक निर्माता/आपूर्तिकर्त्ता/प्राधिकृत एजेन्ट/विक्रेता/MNRE के चैनल पार्टनर/बिहार सरकार के उर्जा विभाग में निबंधित संवेदक से दिनांक 08.06.2017 को पूर्वाह्न 11.00 बजे तक double-bid system के अर्न्तगत प्रति पीस सोलर लाईट के सभी अवयवों की आपूर्ति एवं संवेदक को आने वाले सभी प्रकार के खर्चो को जोड़कर स्थल पर अधिष्ठापन हेतु दर आमंत्रित की जाती है। दर दाताओं के विपत्र से प्रचलित नियमों के अनुरूप रोयाल्टी, लेबर सेस, भैट, आयकर एवं अन्य अनुमान्य कर की कटौती की जायगी। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर दर दाता को आपूर्ति के साथ अधिष्ठापन कार्य का दर अंकित करना है। दर निविदादाता इस कार्य हेतु निविदा की शर्ते एवं निविदा प्रपत्र जिला योजना कार्यालय, मुजफ्फरपुर से आवेदन के साथ 10000/– रू0 का राष्ट्रीयकृत/Schedule Bank का डी0डी0 दे कर जो जिला योजना पदाधिकारी के पदनाम से मुजफ्फरपुर में भुगतेय होगा, निविदा डालने के एक दिन पूर्व के कार्य दिवस तक प्राप्त कर सकते है। निविदा आमंत्रण की सूचना सांकेतिक है । विस्तृत जानकारी एवं शर्तें विक्रय होने वाली निविदा कागजात में वर्णित है। निविदा की शर्ते एवं अन्य विवरण website www.prdbihar.gov.in or www.muzaffarpur.bih.nic.in पर भी देखी जा सकती है। किसी भी शंका समाधान हेतु दूरभाष संख्या 0621–2210367 एवं मोबाईल संख्या 9431630157 पर कार्यालय अवधि में सम्पर्क किया जा सकता है।

प्राप्त सभी निविदाओं को निविदादाता/उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष उसी दिन अपराह्न 4.00 बजे जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर–सह–अध्यक्ष क्रय समिति के समक्ष खोला जायगा ।

ह०/–
जिलाधिकारी,
मुजफ्फरपुर।

ज्ञापांक 773 दिनांक 19/05/2017
प्रतिलिपि :– निदेशक, सूचना एंव जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को निविदा प्रारूप की छः प्रति एवं सी0डी0 के साथ सूचनार्थ एवं समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

ह०/–
जिलाधिकारी,
मुजफ्फरपुर।

ज्ञापांक 773 दिनांक 19/05/2017
प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी,
मुजफ्फरपुर।

जिला योजना कार्यालय

समाहरणालय, मुजफ्फरपुर

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एवं मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत मुजफ्फरपुर जिले में सोलर स्ट्रीट लाईट अधिष्ठापन हेतु निविदा की शर्तें:—

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एवं मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत मुजफ्फरपुर जिले के विभिन्न स्थानों पर कंडिका—10 के मानकों के अनुरूप सोलर स्ट्रीट लाईट की आपूर्ति के साथ अधिष्ठापन कार्य हेतु निविदा double-bid system के अन्तर्गत दिनांक 08.06.2017 को 11.00 बजे पूर्वाहन तक जिला योजना कार्यालय, मुजफ्फरपुर में प्राप्त की जायगी। निविदा में समर्पित दोनो लिफाफों में एक मुहरबंद लिफाफा तकनीकी बिड का होगा, जबकि दूसरा मुहरबंद लिफाफा वित्तीय बिड का होगा। दोनो मुहरबंद लिफाफें एक अन्य बड़े मुहरबंद लिफाफे के अन्दर डाल कर समर्पित किये जायेंगे। वित्तीय बीड वाले लिफाफे में सिर्फ वित्तीय बीड तथा तकनीकी बीड वाले लिफाफे में अन्य सभी कगजात होंगे। इस प्रकार निविदा प्राप्त नहीं कराने वाले की निविदा को अस्वीकार कर दिया जायगा।

(क) तकनीकी निविदा की शर्तें : —

1. निविदादाता को निविदा के साथ वैट रजिस्ट्रेशन प्रमाण—पत्र की अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
2. निविदादाता को निविदा के साथ प्रतिष्ठान/यदि फार्म प्रोपराईटरशीप वाला हो तो प्रोपराईटर के पैन कार्ड की छायाप्रति के साथ पिछले तीन वित्तीय वर्षो (2013—14, 2014—15, 2015—16) का आयकर रिटर्न की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
3. निविदादाता को निविदा के साथ 5,00,000/— (पांच लाख) रूपये का विधिवत प्रतिज्ञित अग्रधन जमा करना होगा जो जिला योजना पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के पदनाम से प्रतिज्ञित रहेगा। अग्रधन की राशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में भी जमा की जा सकती है एवं इस राशि का बैंक ड्राफ्ट जिला योजना पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के पदनाम से मुजफ्फरपुर में भुगतेय देना होगा।
4. निविदादाता का Turn Over विगत तीन वर्षो में किसी एक वर्ष में 25 लाख से ज्यादा का होना चाहिए एवं इस आशय के आवश्यक कागजातों की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. आपूर्ति होने वाले सामग्री के फर्म के नाम/निर्माता कम्पनी के नाम का नवीनतम (latest) ISO प्रमाण—पत्र होना चाहिए ।
6. निविदादाता को यदि वे वितरक संवेदक आदि स्वयं नहीं हैं तो इस निविदा में भाग लेने हेतु Authorisation पत्र की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
7. निविदादाता द्वारा बिहार सरकार के किसी विभाग/निकाय/लोक उपक्रम के भुगतान करने वाले पदाधिकारी से निर्गत भुगतान/अनुभव प्रमाण पत्र कि उनके द्वारा सोलर स्ट्रीट लाईट आपूर्ति के साथ अधिष्ठापन किया गया है, संलग्न करना है। यह भूगतान अनुभव कम से कम 25 लाख रूपये का विगत तीन वितीय वर्षो में से कम से कम एक वितीय वर्ष का ही मान्य होगा।
8. निविदादाता को इस आशय का शपथ—पत्र मूल में देना होगा।

   मैं अधोहस्ताक्षरी (साफ—साफ बड़े अक्षरों में नाम)..
   सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी श्री...................................शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि :—

(क) मेरे/हमारे विरूद्ध किसी प्रकार का आपराधिक मामला किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

(ख) मुझे/हमें किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी प्रतिष्ठान द्वारा वंचित काली सूची में दर्ज एवं विगत एक वित्तीय वर्ष के अन्दर एकरारनामा रद्द नहीं किया गया है।

(ग) मेरा/हमारा कोई निकटतम संबंधी (अभिप्रेत है पति/पत्नी,माता/पिता भाई/बहन कार्य देखने वाले अभियंता/प्रमंडलीय लेखा पदाधिकारी/लेखापाल/जिला योजना पदाधिकारी/सदस्य/अध्यक्ष क्रय समीति एवं उनके कार्यालय कर्मी के रूप में कार्यरत नहीं है।

(घ) निविदा में संलग्न सभी प्रमाण–पत्र कागजात, विवरणी सत्य है।

उपर्युक्त कंडिका 'क', 'ख' एवं 'ग' में गलत सूचना देने का दोषी पाये जाने अथवा कंडिका 'घ' में से कोई अभिलेख असत्य, नकली, जाली पाये जाने पर जिला योजना पदाधिकारी को मेरे ऊपर विधि सम्मत दण्ड, मेरे निबंधन को काली सूची में दर्ज करने, प्राथमिकी दर्ज करने तथा अग्रधन/सुरक्षित जमा राशि जब्त करने का अधिकार रहेगा।

9 तकनीकी निविदा के साथ सोलर स्ट्रीट लाईट से संबंधित Literature/Booklet/Civil Design and Drawing देना अनिवार्य होगा। Civil Design/ Drawing की Compatibility की जबाबदेही निविदा दाता की होगी।

10 अधिष्ठापित की जाने वाली सोलर स्ट्रीट लाईट में प्रयुक्त Latest ISO प्रमाण युक्त फर्म का सभी सामग्रियां निम्न मानकों के तथा MNRE के अनुरूप होना चाहिए। सोलर स्ट्रीट लाईट सिस्टम का तकनीकी विशिष्टी का विवरण निम्नवत है :–

(a) सोलर स्ट्रीट लाईट में 24 W LED Light होगा ।

(b) सोलर स्ट्रीट लाईट में 120 W का solar panel होगा ।

(c) सोलर स्ट्रीट लाईट में 100 Ah की बैट्री होगी ।

(d) सोलर स्ट्रीट लाईट का GI पोल 6 मीटर ऊँचा होगा ।

(e) सोलर स्ट्रीट लाईट में प्रयुक्त होने वाली अन्य सामाग्री यथा तार, स्वीच आदि उच्च्य गुणवत्ता का होगा ।

11. निविदादाता को प्राप्त कराये गये निविदा कागजात तथा उसके अनुरूप उनके द्वारा निविदा में संलग्न कागजात का प्रत्येक पृष्ट स्वयं हस्ताक्षरित करके डालना है।

12. निविदा में डाले गये प्रत्येक कागजात की प्रमाणिकता की जबावदेही निविदादाता की है। यदि किसी भी स्तर पर पता चलता है कि निविदादाता ने गलत कागजात डालकर निविदा प्राप्त किया है तो अग्रधन/जमानत के रूप में उनके द्वारा जमा राशि जब्त कर ली जायगी तथा नियमानुसार उनके विरूद्ध अन्य कार्रवाई भी की जायगी।

13. निविदा आमंत्रण की सूचना के साथ निविदा की सभी शर्ते एकरारनामा का अंश होगा।

14. तकनीकी बीड में सम्मिलित सभी निविदाकरों का वित्तीय बीड का लिफाफा सर्वप्रथम एक बड़े लिफाफें में सील कर के सभी उपस्थित निविदाकरों तथा क्रय समीति के सदस्यों के हस्ताक्षरोपरान्त अध्यक्ष, क्रय समीति के सेफ लॉक एण्ड की हेतु जमा कर दी जायगी।

15. तकनीकी बीड में सफल घोषित निविदाकरों का ही वित्तीय बीड का लिफाफा तकनीकी बीड में सफल निविदाकरों/सदस्य क्रय समीति एवं अध्यक्ष क्रय समीति की उपस्थिति में खोली जायेगी। तकनीकी बीड में सफल/असफल निविदाकारो को सूचना ससमय जिला योजना पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के द्वारा दे दी जायेगी।

16. निविदादाता को एम0एन0आर0ई0, भारत सरकार का चैनल पार्टनर अथवा उसके प्रतिष्ठान की क्रेडिट रेटिंग SP 3C से कम नहीं होनी चाहिए से संबंधित कागजात की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी।

वित्तीय निविदा की शर्ते –

1. वित्तीय निविदा कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई निविदा प्रपत्र में देना होगा एवं यह दर सभी करों सहित मुजफ्फरपुर जिले के विभिन्न स्थलों पर सामग्री पहुँचा कर अधिष्ठापन हेतु होगा। यदि भविष्य में किसी प्रकार की अतिरिक्त कर या प्रचलित कर की वृद्धि होती है तो निविदा दाता के विपत्र से उस समय के प्रचलित नियमों के अनुरूप करों की कटौती होगी तथा इस हेतु निविदाकार का कोई अतिरिक्त दावा मान्य नहीं होगा।
2. वित्तीय निविदा सिर्फ टंकित प्रति में मान्य होगी।
3. ब्रेडा द्वारा निर्धारित मानक दर के अंदर ही/अधीन ही आपूर्तिकर्त्ता का दर होना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में ब्रेडा के मानक दर से उच्च्य दर पर क्रय नहीं किया जायगा।

(ग) अन्य शर्ते : –

1. तकनीकी निविदा में सफल निविदादाता को ही वित्तीय निविदा खोली जायगी।
2. क्रय समिति द्वारा निविदादाता निर्धारित होने के उपरांत कार्यादेश निर्गत होने के दस दिनों के अन्दर एकरारनामा सम्पादित करना होगा।
3. किसी भी विवाद कि स्थिति में मुजफ्फरपुर न्यायालय का क्षेत्राधिकार लागू होगा।
4. बिना कारण बताये निविदा को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
5. किसी भी विवाद कि स्थिति में अध्यक्ष, क्रय समिति का निर्णय अंतिम होगा।
6. निविदादाता को तकनीकी निविदा के कागजातों को माँगे गये क्रम में उपलब्ध कराये गये प्रपत्र में अंकित कर समर्पित करना होगा।
7. गांरटी अवधि कम से कम पाँच वर्षो की होगी। इस पाँच वर्ष की अवधि में निविदादाता को सोलर स्ट्रीट लाईट के सुचारू रूप से कार्य करने हेतु उनके अवयवों को periodic Replacement एवं maintenance हेतु अलग से कोई राशि देय नहीं होगी। इस पाँच वर्ष की अवधि में यदि सोलर स्ट्रीट लाईट का कोई पार्ट खराब होता है एवं उसकी वजह से लाईट कार्य करना बंद कर देता है तो उसे अधिकतम एक सप्ताह में बदलना होगा। गांरटी अवधि समाप्ति तक विपत्र की राशि की 10 प्रतिशत राशि कटौती करकें सुरक्षित रखी जायगी एवं इस राशि का भुगतान गांरटी अवधि की समाप्ति पर सोलर स्ट्रीट लाईट के सुचारू रूप से कार्य करने के उपरान्त किया जायगा।
8. हर सोलर स्ट्रीट लाईट अधिष्ठापित स्थानपर सर्विस सेन्टर का मोबाईल/टेलिफोन नम्बर अंकित करना होगा ताकि किसी भी तकनीकी गड़बड़ी की सूचना आमजनों द्वारा दी जा सके।
9. अधिष्ठापन/ के उपरान्त सोलर स्ट्रीट लाईट संबंधित प्रखंडो के प्रखंड विकास पदाधिकारियों के माध्यम से पंचायतों को हस्तगत कर प्राप्ति रसीद, फोटोग्राफ्स विपत्र के साथ भूगतान हेतु संलग्न कर समर्पित करना होगा।
10. निविदादाता को प्रति पीस सोलर लाईट अधिष्ठापन कार्य का दर अंकित कर जमा करना है। निविदादाता के द्वारा इस उद्धृत दर में मूल्य के साथ कार्य में प्रतिष्ठापन हेतु प्रयुक्त होने वाले सभी सामग्री लेवर चार्ज, ट्रांसपोटेसन चार्ज, विपत्र से काटे जानेवाले कर एवं कार्य के दौरान निरीक्षण के लिये वाहन उपलब्ध कराने, गुणवत्ता जाँच एवं अन्य आकस्मिक मद पर खर्च का दर भी सम्मिलित रहेगा। सभी करों की कटौती प्रचलित नियम के अनुसार श्रोत पर किया जायगा।
11. जिला योजना पदाधिकारी को बिना कोई कारण बताये निविदा के सभी/किसी कार्य को या किसी कार्य के किसी अंश को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई दावा मान्य नहीं होगा।

12. एकरानामा

1. सफल निविदाकार को कार्य आवंटन की तिथि से 10 दिनों के अन्दर एक हजार रूपये का **Non Judicial Stamp** पर एकरारनामा करना होगा ।
2. एकरारनामा में ही मासिक कार्य योजना समर्पित करना होगा।

13. भुगतान की प्रक्रिया

1. कार्य प्रारंभ के पूर्व कार्य के दौरान यथा प्रत्येक विपत्र के साथ तथा कार्य समाप्ति के उपरान्त, संबंधित कार्य स्थल की फोटोग्राफी/विडियोग्राफी संवेदक को स्वयं करानी होगी। एवं उसकी सी0डी0 भूगतान हेतु जमा करानी होगी। अन्यथा इसके अभाव में कार्य का भुगतान रोक दिया जा सकता है।
2. आवंटन उपलब्ध होने पर ही भुगतान किया जायगा। आवंटन उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में कोई दावा या ब्याज अनुमान्य नहीं होगा।

14. निविदा में निर्धारित अवधि के अन्तर्गत ही कार्य को पूरा करना होगा। विशेष परिस्थिति को छोड़कर अवधि विस्तार की स्वीकृति नहीं दी जायगी।

15. संवेदक को आवंटित कार्य से संबंधित आवश्यकतानुसार सभी यंत्र–संयत्र की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। जिसके लिए किसी प्रकार का अग्रिम देय नहीं होगा। गुणवत्ता युक्त कार्य हाने की जबावदेही निविदादाता की होगी तथा गुण नियंत्रण प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की जबावदेही भी उन्हीं की होगी।

16. विपत्र से अन्य आवश्यक कटौतियों के अतिरिक्त 1 प्रतिशत लेवर सेस की राशि भवन एवं सन्निमार्ग कर्मकार कल्याण बोर्ड मद हेतु कटौती की जायगी।

17. राज्य सरकार के किसी विभाग या संस्थान में किसी भी कार्य की निविदा अथवा कार्यो से वंचित निविदाकार इस निविदा में भाग लेने योग्य नहीं होंगे।

18. निविदा सूचना की अन्य सभी शर्तो को पूरा करने के बावजूद कोई निविदादाता निविदा में भाग लेने के योग्य नहीं होगे यदि :–

1. उनके द्वारा किसी निर्धारित प्रपत्र विवरणी शपथ पत्र या योग्यता प्रमाण पत्र के रूप में समर्पित किसी कागजात या दस्तावेज में गलत या गुमराह करने वाला तथ्य समर्पित किया गया हो।
2. उनका कार्य निष्पादन का रिकार्ड खराब रहा हो अर्थात् उन्होंने आवंटित कार्य को अधूरा छोड़ दिया हो, संविदा की शर्तो के अनुसार कार्य सम्यक रूप से पूरा नहीं किया हो, पूर्व से आंवटित किसी कार्य को पूरा करने में गंभीर विलम्ब किया हो, विवाद का इतिहास हो, वित्तीय अक्षमता सिद्ध हुई हो।

19. पार्टनरशिप डिड में अंकित कोई पार्टनर, कंपनी के प्रबंध निदेशक, सहयोग समिति एवं निबंधित संस्थाओं के पदधारक या इन पदों पर कार्य करने वाले पदधारक पूर्व में ब्लैक लिस्टेड है अथवा वंचित है तो वह फर्म/कंपनी/सहयोग समिति/निबंधित संस्था निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होगी।

20. परिमाण विपत्र

1. उपरोक्त निविदा विपत्र का मूल्य (जो लौटाया नहीं जायगा) किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/अनुसूचित बैंक द्वारा निर्गत डिमांड ड्राफ्ट जो जिला योजना पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के पदनाम से मुजफ्फरपुर में भुगतेय हो स्वीकार किया जायगा। किसी भी परिस्थिति में नगद राशि की प्राप्ति कर परिमाण विपत्र की बिक्री नहीं की जायगी।
2. निविदादाता द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को निबंधन प्रमाण पत्र की छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न रहने पर ही निविदा कागजात निर्गत किया जायगा।

21. निविदा में संवेदक द्वारा आवश्यक अग्रधन की राशि के साथ प्रमाण पत्रों की अभिप्रमाणित छायाप्रति तथा प्रमाण पत्र एवं कागजात स्वहस्ताक्षरित कर संलग्न करना आवश्यक है।

22. अग्रधन :–

1. अग्रधन की राशि जो बिहार राज्य से निर्गत राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, किसान विकास पत्र अथवा डाकघर के सावधि 1/2/3 वर्षीय सावधि जमा पासबुक या बिहार लोक निर्माण संहिता के अनुरूप अग्रधन जिला योजना पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के पदनाम से विधिवत प्रतिज्ञित हो (मूल में) जमा करना है। साथ ही साथ अग्रधन की राशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जो जिला योजना पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के पदनाम से मुजफ्फरपुर में भुगतेय हो जमा किया जा सकता है।
2. संवेदक द्वारा जमा किये गये अग्रधन की राशि/सुरक्षित जमा राशि पर किसी प्रकार का सूद विभाग द्वारा देय नहीं होगा।

23. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगा।

जिला योजना पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर।	उप विकास आयुक्त, मुजफ्फरपुर।	जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर।